देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

JAWAB DO SARKAR

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

w w w . j a w a b d o s a r k a r . c o m

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2023/mmp/21 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 16 जून 2023

ना नक्शे पास और ना ही जेडीए से ली गई होटल और क्लब के निर्माण की अनुमति!!

बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए,महज 4 महीनों मे बना दिया होटल और क्लब!!

बिना पार्किंग की सुविधा के बने होटल की दर्जनों गाड़ियां हाईवे की स्लिप लाईन मे हो रही खड़ी!!

वेले पार्किंग के नाम पर NHAI की स्लिप लाईन पर कब्जा!!

पार्ट-1

जेडीए और NHAI की मॉनिटरिंग फेल!!

भ्रष्टाचार का वटवृक्ष बना!!दी बिग ट्री केफे!!

जेडीए के पीआरएन दक्षिण-प्रथम मे स्थित करणी विहार कॉलोनी के आवासीय प्लॉट संख्या 8 पर बनाई गई 20 कमरों की अवैध होटल और क्लब " दी बिगट्री केफे" का मामला!

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

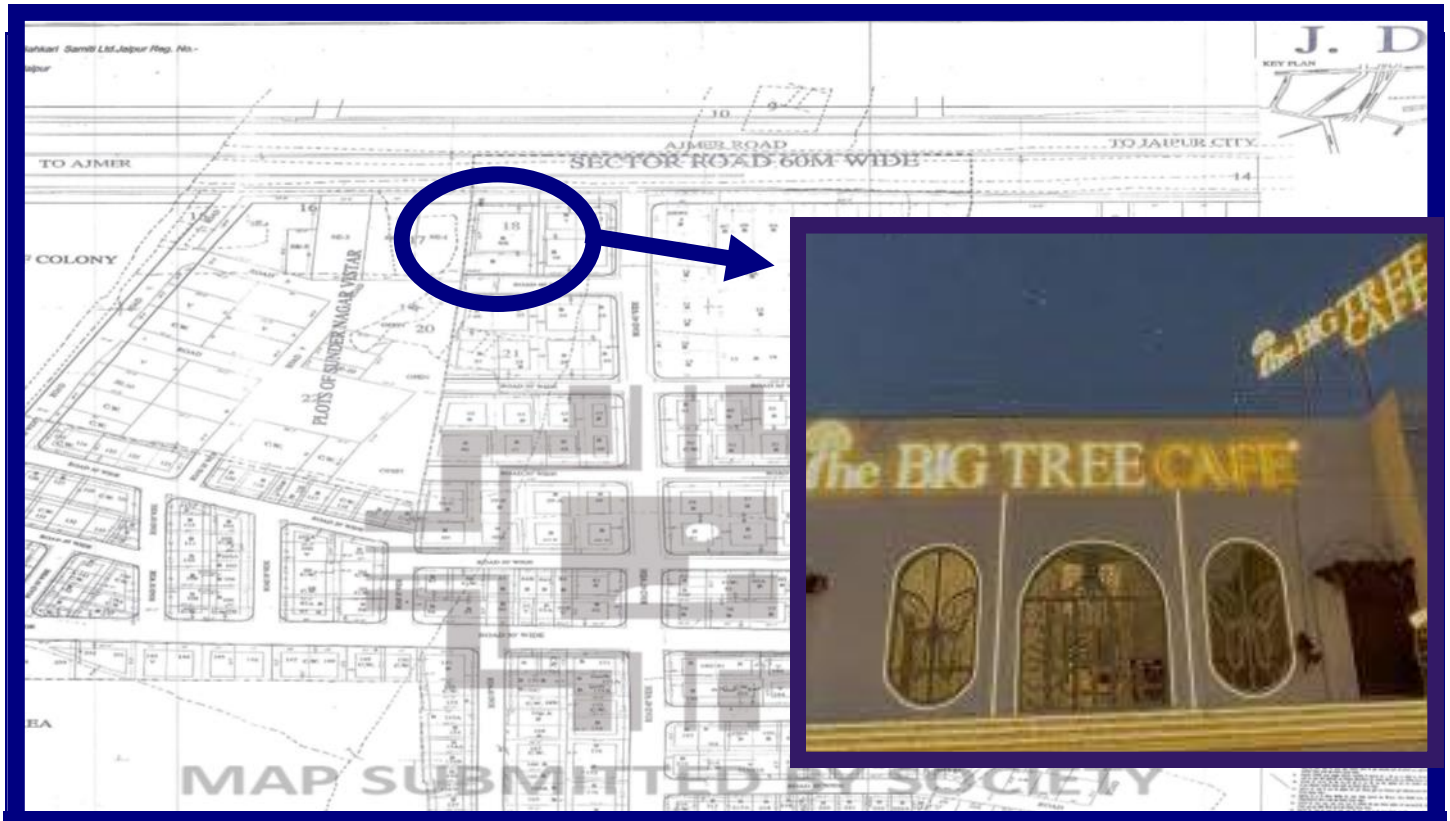

PRN-South-1 Cooperative KARNI VIHAR-PRN (SHRI CHATRAPATHI GNSS)

Show 10 entries Search:

PlotNo	Property ID	Owner / C/o	Use	Allotment Date / Area	Possession Date / Area	LeaseHold (Patta) Date / Area	FreeHold Date / Area	Lottery	Deposit Ledger
7	5250000224	GEETA PRADHAN /RAMESH CHAND PRADHAN	Residential	05/06/1993 500.00 SQ. YARD	31/05/2016 361.11 SQ. YARD	31/05/2016 361.11 SQ. YARD			View
8	5250000093	SUDESH LEKAR /SURENDRA PRAKASH LEKAR	Residential	06/12/1995 700.00 SQ. YARD			25/05/2022 467.08 SQ. YARD		View
9A	5250001830	SUDESH LEKAR /SURENDRA PRAKASH	Residential	06/12/1995 611.30 SQ. YARD	31/08/2016 764.02 SQ. YARD	31/08/2016 764.02 SQ. YARD			View

क्या है जेडीए के पीआरएन दक्षिण-प्रथम मे स्थित करणी विहार कॉलोनी के आवासीय प्लॉट संख्या 8 पर बनाई गई 20 कमरों की होटल “दी बिगट्री केफे” का मामला?

आपको बता दें कि जेडीए के रिकॉर्ड के अनुसार,जेडीए के पीआरएन दक्षिण फर्स्ट मे स्थित 467 वर्ग गज और 764 वर्ग गज के आवासीय भूखंड 8 और 9 A सुदेश लेखर के नाम दर्ज है|लेकिन महज कुछ ही महीनों मे इन भूखंडों पर बिना अनुमति,बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए,बिना नक्शे पास करवाए,बिना सेटबेक छोड़े,बिना पार्किंग व्यवस्था के 20 कमरों की अवैध होटल और क्लब का निर्माण कर, संचालन भी शुरू कर दिया गया है|शुरू मे जब इस होटल का निर्माण शुरू हुआ तो स्थानीय निवासियों को लगा कि कोई मकान बन रहा है लेकिन जैसे जैसे इस होटल के निर्माण कार्य ने अंतिम रूप लिया लोगों को समझ आ गया कि मकान की जगह बनने वाली यह होटल/क्लब उनके लिए परेशानी का सबब बनने वाली है|

बिना पार्किंग की सुविधा के बने होटल/क्लब की दर्जनों गाड़ियां, हाईवे की स्लिप लाईन मे हो रही अवैध रूप से पार्क!!

सबसे बड़ी बात यह है कि यह होटल/क्लब NH 48 अजमेर दिल्ली राष्टीय राजमार्ग की स्लिप लाईन पर बनाया गया है|बिना पार्किंग के बनी इस होटल/क्लब मे आने वाले आगंतुकों की बड़ी-बड़ी गाड़ियां, सड़क पर ही अवैध रूप से पार्क करवाई जाती है|हाँ, फर्क इतना है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए होटल मालिक ने इसे वेले-पार्किंग का नाम दे दिया गया है|

जेडीए और NHAI की मॉनिटरिंग फेल!!भ्रष्टाचार का वटवृक्ष बना!!दी बिग ट्री केफे!!

आपको बता दें कि इस होटल/क्लब के अवैध रूप से बनने और संचालन मे जेडीए और NHAI की नाकामी सामने आ रही है|

एक तरफ तो जहां होटल मालिक द्वारा बिना अनुमति,बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए,बिना नक्शे पास करवाए,बिना सेटबेक छोड़े,बिना पार्किंग व्यवस्था के होटल/क्लब बनाकर,JDA विनियमों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया है|वहीं NHAI के अधीनस्त आने वाले राष्टीय राजमार्ग 48 की स्लीप लाइन पर भी दर्जनों गाड़ियां अवैध रूप से पार्क कर,उसे भी अतिक्रमित कर दिया गया है|

मात्र 4 महीनों मे बना दिया इस होटल/क्लब को!!JDA गहरी नींद मे|

इस होटल/क्लब का निर्माण इसी वर्ष फरवरी माह मे चालू किया गया था और महज 4 महीने मे ही इसे तैयार कर,शुरू भी कर दिया गया,इस होटल/क्लब का उद्घाटन 26 मई,2023 को किया गया था,लेकिन इन 4 महीनों मे JDA के जिम्मेदार अधिकारियों को इस अवैध निर्माण की भनक तक नहीं लगी|

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या भवन मालिक द्वारा इस भूखंड का सक्षम स्तर से भू-उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
2. क्या भवन मालिक द्वारा इस बिल्डिंग का सक्षम स्तर से मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया जा रहा है?
3. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडो और पार्किंग नियमों का पालन किया जा रहा है?
4. इस होटल/क्लब मे कितने कमरे है?होटल के पास किन किन विभागों की अनुमतियाँ/एनओसी मौजूद है?
5. क्या इस अवैध निर्माण के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है?क्यूँ उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?

4 महीने पहले की फ़ोटोज़

4 महीने बाद की फ़ोटोज़ ,स्लिप लाईन पर लगा जाम

यह आलेख www.jawabdosarkar.com पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है/पाठको की सुविधा एवं जिम्मेदार अधिकारियों/विभागो के संज्ञान मे लाने के लिए पोर्टल पर प्रकाशित आलेखो को पीडीएफ़ फोर्मेट मे प्रकाशित किया गया है/पोर्टल द्वारा किसी नियमित एवं निश्चित प्रसार संख्या वाले किसी समाचार पत्र/पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जाता है/